

राजस्थान सरकार
आबकारी विभाग

वर्ष 2018-19 के आबकारी बन्दोबस्त के संदर्भ में देशी मदिरा विक्रय के अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन के संदर्भ में विस्तृत दिशा निर्देश एवं शर्तें

1. पात्रता

देशी मदिरा विक्रय के लिये अनुज्ञापत्र हेतु वे ही व्यक्ति आवेदन कर सकेंगे, जो राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 एवं इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के तहत इस प्रकार का अनुज्ञापत्र धारण करने की योग्यता रखते हैं। मुख्य रूप से निम्नलिखित व्यक्ति आवेदन पत्र देने के लिये अयोग्य रहेंगे :-

(i) भारत का नागरिक नहीं हो।

(ii) कोई भी व्यक्ति जो अठारह वर्ष से कम आयु का हो,

(iii) कोई भी व्यक्ति जो स्वयं अथवा जामिन के रूप में आबकारी विभाग का बाकीदार हो,

(iv) वर्ष 2017-18 के ऐसे अनुज्ञाधारी, जिनमें माह दिसम्बर, 2017 तक की एकाकी विशेषाधिकार राशि/लाईसेंस फीस की कोई राशि बकाया हो,

(v) कोई भी व्यक्ति जिसके विरुद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 अथवा इसकी धारा 34 में उल्लेखित अधिनियमों अथवा नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साईकोट्रोपिक सब्स्टेंसेज एक्ट, 1985 के अंतर्गत अपराध का कोई मामला दर्ज हो अथवा उसमें सजायाब हुआ हो।

(vi) राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 74 के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र धारण हेतु अयोग्य व्यक्ति।

(vii) राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/स्थानीय निकायों/अन्य किसी भी राजकीय अथवा अर्द्धराजकीय संस्थान में सेवारत व्यक्ति राजकीय अधिकारिता के अलावा व्यक्तिगत क्षमता में अनुज्ञापत्र जारी करने के लिये पात्र नहीं होंगे।

2. अवधि

आगामी आबकारी बन्दोबस्त की अवधि एक वर्ष 2018-19 (दिनांक 1-4-2018 से दिनांक 31-3-2019) के लिये होगी।

3. बन्दोबस्त की प्रणाली :-

वर्ष 2018-19 हेतु देशी मदिरा, भा.नि.वि. मदिरा/बीयर एवं भांग का बन्दोबस्त निम्न प्रणाली अनुसार किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

3.1 देशी मदिरा के वर्ष 2018-19 के अनुज्ञापत्र समूहवार निर्धारित एकाकी विशेषाधिकार राशि पर एकाकी विशेषाधिकार प्रणाली के अन्तर्गत आवंटित किये जायेंगे।

4. बन्दोबस्त की प्रक्रिया :-

वर्ष 2018-19 हेतु निश्चित वार्षिक राशि पर नये आवेदन आमंत्रित कर बन्दोबस्त किया जायेगा। देशी मदिरा दुकानों के आवंटन हेतु आवेदन ऑनलाइन प्राप्त किये जायेंगे। ऑनलाइन आवेदन के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किये जायेंगे जिन्हें विभागीय वेबसाइट के अलावा आवेदन पत्र के साथ भी उपलब्ध कराया जायेगा।

4.1.1 जिन समूहों हेतु एक से अधिक आवेदन प्राप्त होंगे, ऐसे समूहों के लिये पूर्व व्यवस्था अनुरूप जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष लाटरी निकाली जाकर सफल आवेदक का चयन किया जायेगा। एक व्यक्ति को एक समूह से अधिक समूहों का आवंटन नहीं किया जायेगा।

5. आवेदन पत्र

- 5.1 समस्त आवेदन ऑनलाइन वेबसाइट <https://www.rajexciseapplication2017-18.org> द्वारा स्वीकार किये जाएंगे। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे। आवेदक को सर्वप्रथम, उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध समस्त दिशा-निर्देश एवं शर्तों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लिया जाना चाहिये।
- 5.2 आवेदन कम्प्यूटर/लैपटॉप को इन्टरनेट से जोड़ कर घर, कार्यालय, ई-मित्र सेन्टर तथा साइबर कैफे से भरे जा सकते हैं।
- 5.3 इस सूचना के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश एवं शर्तें तथा अनुज्ञापन हेतु उपलब्ध दुकानों की निर्धारित संख्या की सूची एवं एकाकी विशेषाधिकार राशि की जानकारी विभागीय वेबसाइट <https://www.rajexciseapplication2017-18.org> पर उपलब्ध है।
- 5.4 ऑनलाइन आवेदन विभागीय वेबसाइट <https://www.rajexciseapplication2017-18.org> पर 10.02.2018 से 24.02.2018 को 5.00 पीएम तक भरे जा सकते हैं। इसके पश्चात ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक समाप्त हो जायेगा।
- 5.5 आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि का इन्टरनेट बैंकिंग से ऑनलाइन भुगतान करने वाले आवेदकों के अलावा अन्य सभी आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन के पश्चात उक्त विभागीय साइट से आवेदक द्वारा आवेदन पत्र का A4 साईज के 70 जी.एस.एम. (GSM) के सादे कागज पर प्रिन्ट लिया जायेगा। उक्त प्रिन्टेड आवेदन पत्र को ऑनलाइन आवेदन करने के तीन दिवस अथवा 26.02.2018 को 5 पीएम तक, जो भी पहले हो, तक आवेदन शुल्क तथा अमानत राशि के चालान/डिमण्ड ड्राफ्ट संलग्न करते हुए सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। अपरिहार्य अथवा विशेष परिस्थिति में उक्त प्रिन्टेड कॉपी प्रस्तुत करने की उक्त निर्धारित समय सीमा में छूट दी जा सकेगी, लेकिन किसी भी परिस्थिति में ये प्रिन्टेड कॉपी 26.02.2018 को 5 पीएम के बाद स्वीकार्य नहीं होंगी।

- 5.6 किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक दुकान /दुकान समूह आवंटित नहीं की जायेगी। यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक दुकान/दुकान समूहों हेतु आवेदन करता है तथा एक से अधिक दुकान/दुकान समूह हेतु उसका चयन हो जाता है तो उसे वह दुकान/दुकान समूह आवंटित किया जायेगा जिसके लिये सबसे कम आवेदन प्राप्त हुये हो। दुकान/दुकान समूह हेतु समान संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर ऐसे आवेदक को वह दुकान/दुकान समूह आवंटित की जायेगी जिसकी वार्षिक राशि अधिक हो। एक से अधिक दुकान/दुकान समूहों के आवंटन की सूचना विभाग को देने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी। एक से अधिक दुकान/दुकान समूहों के आवंटन की सूचना विभाग को नहीं देने पर इसे आवेदन आमन्त्रण शर्तों का उल्लंघन माना जायेगा जिसके लिये एक से अधिक दुकान हेतु आवेदक का चयन/स्वीकृति निरस्त कर उसके द्वारा जमा करवाई गई अमानत राशि/धरोहर राशि जप्त कर ली जायेगी तथा निरस्त की गई ऐसी दुकान का पुनः बन्दोबस्त नहीं होने अथवा कम राशि पर होने की स्थिति में अन्तर की राशि भी ऐसे व्यक्ति से वसूल की जायेगी।
- 5.7 देशी मदिरा समूहों (डूंगरपुर एवं बांसवाडा जिलों को छोड़कर) हेतु आवेदन शुल्क (अप्रतिदाय योग्य) निम्नानुसार निर्धारित किया गया है :-

क्र.स.	श्रेणी	आवेदन शुल्क रुपये में
1	वर्ष 2018-19 के लिये 10 लाख रुपये तक निर्धारित वार्षिक राशि वाले समूह	16000
2	वर्ष 2018-19 के लिये 10 लाख रुपये से अधिक निर्धारित वार्षिक राशि वाले समूह	21000

- 5.8 देशी मदिरा समूहों डूंगरपुर एवं बांसवाडा जिलों के लिये हेतु आवेदन शुल्क (अप्रतिदाय योग्य) निम्नानुसार निर्धारित किया गया है :-

क्र.स.	श्रेणी	आवेदन शुल्क रुपये में
1	वर्ष 2018-19 के लिये 10 लाख रुपये तक निर्धारित वार्षिक राशि वाले समूह	7000
2	वर्ष 2018-19 के लिये 10 लाख रुपये से अधिक निर्धारित वार्षिक राशि वाले समूह	11000

- 5.9 रजिस्टर्ड/भागीदारी फर्म/कम्पनी द्वारा ऑन लाईन आवेदन करने की स्थिति में नाम के कॉलम में आवेदक रजिस्टर्ड/भागीदारी फर्म/कम्पनी का नाम अंकित किया जावे। रजिस्टर्ड/भागीदारी फर्म/कम्पनी की स्थिति में पिता का नाम अंकित करना आवश्यक नहीं होगा। रजिस्टर्ड/भागीदारी फर्म/कम्पनी द्वारा किसी एक भागीदार/निदेशक को ऑन लाईन आवेदन करने हेतु अधिकृत किया जा सकता है। ऑन लाईन आवेदन में इसी अधिकृत व्यक्ति की आयु का अंकन एवं हस्ताक्षर तथा फोटो अपलोड करना पर्याप्त होगा।

इस कम्पनी अथवा फर्म के आवेदन सफल हो जाने की स्थिति में दुकान संचालन करने से पूर्व अधिकृत पत्र की प्रति, पार्टनरशिप डीड की प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। ये दोनो दस्तावेज ऑन लाईन आवेदन करने की दिनांक से पूर्व के होना आवश्यक होंगे।

- 5.10 आवेदक को आवेदन पत्र के सभी भागो की सही पूर्ति कर आवेदन ऑनलाईन प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। ऑनलाईन प्रस्तुत करने के पश्चात आवेदन पत्र की हार्डकापी आवेदन आमन्त्रण में निर्धारित दिनांक तक सम्बन्धित जिला कार्यालय में प्रस्तुत करनी आवश्यक होगी।
- 5.11 आवेदनकर्ता किसी दुकान/दुकानों के लिए अपने आवेदन पत्र के साथ अपने नाम व पते के सत्यापन हेतु निवास प्रमाण पत्र/टेलिफोन बिल/ बिजली बिल/ क्रेडिट कार्ड/ आयकर विभाग का पेन कार्ड/ निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र/आधार कार्ड/ड्राईविंग लाईसेन्स इत्यादि में से किसी एक की स्व:प्रमाणित फोटो प्रति संलग्न करेगा।
- 5.12 सफल आवेदक को वर्ष 2018-19 के लिए निर्धारित वार्षिक राशि की 18 प्रतिशत राशि अग्रिम एकाकी विशेषाधिकार राशि वित्तीय वर्ष 2018-19 के प्रारम्भ होने से पूर्व अथवा दुकान संचालन से पूर्व, जो भी पहले हो, तक राजकोष में जमा करानी होगी।
- 5.13 उपरोक्तानुसार अग्रिम एकाकी विशेषाधिकार राशि वित्तीय वर्ष 2018-19 के माह सितम्बर से माह फरवरी तक 3 प्रतिशत राशि निर्धारित मासिक गारण्टी पूर्ति के लिये मदिरा निर्गम के लिये देय आबकारी शुल्क अथवा मासिक एकाकी विशेषाधिकार राशि में समायोजन किया जा सकेगा।
- 5.14 जो आवेदन अपूर्ण होंगे अथवा जिसके लिये निर्धारित शुल्क अदा नहीं किया गया हो, ऐसे आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
- 5.15 सफल आवेदक यदि आयकर विभाग का पेन नम्बरधारी नहीं हैं तो उसे 30.04.2018 तक पेन नम्बर प्राप्त कर विभाग को सूचित करना होगा।

6. वार्षिक राशि

देशी मदिरा दुकान/दुकाने ग्राम पंचायतवार अथवा नगर निगम/परिषद/ पालिका के वार्ड वार अथवा उनके समूह में जिस रूप में अनुज्ञापन हेतु प्रस्तुत की जा रही हैं उनकी सूची एवं राज्य की समस्त दुकानो के संदर्भ में वर्ष 2018-19 की वार्षिक राशि इत्यादि का विवरण विभाग की वेबसाईट <https://www.rajexciseapplication 2017-18.org> पर उपलब्ध है। आवेदन प्रस्तुत करने के इच्छुक व्यक्तियों को सर्वप्रथम उक्त वेबसाईट पर उपलब्ध समस्त दिशा-निर्देशों, अनुज्ञापत्रों की शर्तों एवं दुकानों की वार्षिक राशि इत्यादि का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लेना चाहिये तथा इन प्रावधानो से पूर्ण सहमत होने पर ही विभाग को आवेदन प्रस्तुत करना अपेक्षित है। इस संबंध में आवेदक को बाद में किसी प्रकार की उजरदारी या आपत्ति करने का अधिकार नहीं

होगा। सफल आवेदक को अग्रिम एकाकी विशेषाधिकार राशि की 18 प्रतिशत (जो कि धरोहर राशि के अतिरिक्त है) उपरोक्तानुसार जमा करानी होगी।

7. **अमानत राशि (Earnest Money)** : प्रत्येक देशी मदिरा समूह के लिये वर्ष 2018-19 हेतु निर्धारित वार्षिक राशि का एक प्रतिशत राशि अमानत राशि निर्धारित की जाती है। अनुज्ञापत्र हेतु चयनित आवेदक द्वारा जमा कराई गई अमानत राशि को धरोहर राशि पेटे समायोजित किया जा सकेगा। असफल आवेदकों द्वारा जमा कराई गई अमानत राशि सम्बन्धित आवेदक को लौटा दी जायेगी। किसी जिले में एक ही आवेदन द्वारा एक से अधिक दुकान/मदिरा समूह के लिये आवेदन करने पर उस जिले में एक दुकान के लिये देय अधिकतम अमानत राशि को अन्य आवेदन के साथ उपयोग लिया जा सकेगा, किन्तु प्रत्येक आवेदन हेतु आवेदन शुल्क पृथक-पृथक देय होगा जो कि अप्रतिदेय (non refundable) होगा।
- 8 **आवेदक द्वारा अमानत राशि की भुगतान प्रक्रिया :-**
- (i) आवेदक द्वारा एक जिले में अधिकतम अमानत राशि वाली समूह की अमानत राशि के बराबर एक बारीय (One time) अमानत राशि जमा कराई जा सकेगी। आवेदक इस जमा अमानत राशि के आधार पर उस जिले में प्रत्येक आवेदन पर उस दुकान हेतु निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करेगा। एक समूह के लिये एक से अधिक आवेदन अथवा अलग-अलग समूह के लिये एक एवं एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत किये जा सकेगे। प्रत्येक आवेदन के लिये जमा कराया गया आवेदन शुल्क अप्रतिदाय (Non refundable) होगा।
- (ii) अलग-अलग जिलों में आवेदन प्रस्तुत करने के लिये सम्बन्धित जिले की अधिकतम अमानत राशि वाले समूह की अमानत राशि के बराबर अमानत राशि जमा कराने पर ही सम्बन्धित जिले में उपरोक्त व्यवस्था के अन्तर्गत आवेदन मान्य होगा।
- (iii) जिले में एक आवेदक द्वारा किसी एक समूह के लिये एक ही आवेदन किया जाता है तो उसे सम्बन्धित समूह के लिए निर्धारित अमानत राशि ही जमा करानी होगी।
- (iv) आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि इन्टरनेट बैंकिंग से ऑनलाईन भुगतान करने वाले आवेदकों के अलावा अन्य सभी आवेदकों को आवेदन शुल्क तथा अमानत राशि के चालान/डिमान्ड ड्राफ्ट संलग्न करते हुए आवेदनपत्र की हॉर्ड कॉपी के साथ सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में निर्धारित दिनांक तक प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। जिस आवेदन के साथ निर्धारित अमानत राशि संलग्न नहीं होगी, उस पर आगे विचार नहीं किया जायेगा। जिस आवेदक का अनुज्ञापत्र हेतु चयन हो जाता है, उसके द्वारा जमा कराई गई अमानत राशि को धरोहर राशि पेटे समायोजित कर दी जायेगी।
9. **धरोहर राशि अदायगी**
- 9.1 सफल आवेदक को धरोहर राशि के रूप में वर्ष 2018-19 की वार्षिक राशि की 8% राशि जमा करानी होगी।
- 9.2 आवेदक के नाम स्वीकृति जारी होने पर 1 प्रतिशत अमानत राशि के समायोजन पश्चात् वार्षिक राशि की 5 प्रतिशत राशि लाटरी की दिनांक से

3 दिन में (लाटरी के दिन को छोड़कर) व शेष राशि लाटरी की दिनांक (लाटरी के दिन को छोड़कर) से 10 दिन में या दुकान प्रारम्भ करने से पूर्व, जो भी पहले हो, जमा करानी होगी।

- 9.3 यदि आवेदक किसी स्टेज पर उक्त अनुसार निर्धारित अवधि में रकम जमा नहीं करवाता है, तो उस स्टेज तक उसके द्वारा जमा अमानत राशि / धरोहर राशि/ अग्रिम एकाकी विशेषाधिकार राशि राज्यसात् कर उसके पक्ष में जारी स्वीकृति निरस्त कर दी जावेगी।

10. दुकानों का संचालन

- 10.1 आवेदक को अपनी दुकान पर देशी मदिरा बेचने की ही अनुमति होगी। देशी मदिरा कम्पोजिट दुकानों पर देशी मदिरा के साथ विदेशी मदिरा/ भा.नि.वि.म./वाईन/आर.टी.डी./बीयर बेचने की अनुमति होगी। आवेदक को अपनी दुकान पर किसी भी रूप में मदिरा पान कराने की अनुमति नहीं होगी।
- 10.2 अनुज्ञाधारी को अपनी समस्त आपूर्ति राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स के निर्धारित गोदाम से लेनी होगी। राज्य के निजी क्षेत्र में कार्यरत डिस्टलरीज व पात्र बोटलिंग प्लांट्स द्वारा निर्मित की गई देशी मदिरा भी राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स के गोदामों पर बिक्री हेतु सम्बन्धित डिस्टलरीज द्वारा उपलब्ध करवाई जायेगी।
- 10.3 खुदरा अनुज्ञाधारी को मासिक गारन्टी पूर्ति के लिये निर्धारित होने वाली एकाकी विशेषाधिकार राशि का अधिकतम 60 प्रतिशत 40 यू.पी. देशी मदिरा से तथा न्यूनतम 40 प्रतिशत निर्गम 50 यू.पी. एवं 60 यू.पी. देशी मदिरा सम्मिलित रूप से लेना आवश्यक होगा।

प्रत्येक माह की मासिक एकाकी विशेषाधिकार राशि की 40 प्रतिशत गारन्टी पूर्ति 50/60 यू.पी. की देशी मदिरा के उठाव से किया जाना अनिवार्य है। लेकिन एक माह में 50/60 यू.पी. की देशी मदिरा से गारन्टी पूर्ति उक्त अनुपात में नहीं हो पाने पर अनुज्ञाधारी उसी त्रैमास के अन्य माह/माहों में 50 एवं 60 यू.पी. की देशी मदिरा से गारन्टी पूर्ति इस प्रकार से सुनिश्चित करेगा कि उक्त त्रैमास के तीन माहों की मासिक एकाकी विशेषाधिकार राशि के योग की 40 प्रतिशत की गारन्टी पूर्ति 50/60 यू.पी. की देशी मदिरा के उठाव के लिए जमा कराई गई आबकारी ड्यूटी से हो।

एक त्रैमास में इस अनुपात से कम उठाव होने की स्थिति में अनुज्ञाधारी को 50/60 यू.पी. की देशी मदिरा की गारन्टी पूर्ति के देय आबकारी शुल्क एवं वास्तविक रूप से 50/60 यू.पी. देशी मदिरा उठाव से गारन्टी पूर्ति की अन्तर की राशि नकद से पृथक से जमा करवानी होगी। इस सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त द्वारा जारी निर्देशों की पालना हेतु अनुज्ञाधारी बाध्य रहेगा।

- 10.4 अनुज्ञाधारी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम विक्रय मूल्य से नीची दर पर मदिरा का विक्रय नहीं कर सकेंगे ।
- 10.5 दुकानों के बारे में अन्य प्रावधान संलग्न अनुज्ञापत्र शर्तों में है । आवेदक को इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिये । किसी भी आवेदक के आवेदन पर स्वीकृति जारी हो जाने के उपरान्त यदि वह उसे आवंटित दुकान के क्षेत्र / कस्बे / गांव में दुकान नहीं लगा पाता है, तो भी वह वार्षिक राशि या उसके द्वारा जमा करवाई गई किसी भी प्रकार की राशि में छूट अथवा उसकी वापसी का अधिकारी नहीं होगा ।
- 10.6 वर्ष 2018-19 के लिये दो या दो से अधिक दुकान वाले मदिरा समूह को एक गोदाम की सुविधा रूपये 20000/- की वार्षिक फीस पर उपलब्ध होगी । रूपये 10 लाख से अधिक वार्षिक एकाकी विशेषाधिकार राशि वाले एकल दुकान समूह को रू. 30,000/- की वार्षिक फीस पर एक गोदाम की सुविधा उपलब्ध होगी । कम्पोजिट दुकान के लिये स्वीकृत गोदाम में देशी मदिरा के साथ भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर/वाइन के भण्डारण की अनुमति दी जा सकेगी । गोदाम की दुरी ग्रामीण क्षेत्र स्वीकृत मदिरा दुकान से 1 कि.मी की परिधी में तथा शहरीय क्षेत्र में 500 मीटर की परिधी में होगी । उक्त मदिरा गोदाम मदिरा भण्डारण के लिये निर्धारित वार्षिक फीस जमा कराने पर गोदाम की अनुमति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.12.2016, 31.03.2017 एवं 11.07.2017 के अनुसार दी जावेगी ।

11. कम्पोजिट दुकाने

- 11.1 राज्य के ग्रामीण क्षेत्र एवं "चतुर्थ श्रेणी" की नगर पालिका क्षेत्रों (सागवाड़ा नगर पालिकाओं को छोड़कर) की देशी मदिरा की समस्त दुकानें कम्पोजिट श्रेणी की होगी । कम्पोजिट फीस की गणना निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी । वर्ष 2018-19 के लिये कम्पोजिट दुकान की कम्पोजिट फीस को 31 मार्च, 2018 तक जमा कराया जाना आवश्यक होगा ।
- 11.2 राज्य में ग्रामीण क्षेत्र एवं चतुर्थ श्रेणी नगर पालिकाओं (सागवाड़ा नगर पालिका को छोड़कर) में स्थित कम्पोजिट दुकानें निम्न श्रेणी की होगी :-
- (i) **परिधीय क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानें** : नगर निगम/ नगरपरिषद/ द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी की नगर पालिकायें की सीमा से 5 किमी परिधि में स्थित गांवों में अवस्थित कम्पोजिट दुकानें **परिधीय क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानें** कहलायेगी ।
- (ii) **चतुर्थ श्रेणी नगर पालिका की देशी मदिरा कम्पोजिट दुकानें** : "चतुर्थ श्रेणी" की नगर पालिका क्षेत्रों (सागवाड़ा नगर पालिका को छोड़कर) में स्थित कम्पोजिट दुकानें **चतुर्थ श्रेणी नगर पालिका की कम्पोजिट दुकानें** कहलायेगी ।
- (iii) **ग्रामीण क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानें** : परिधीय क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानों के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित कम्पोजिट दुकानें **ग्रामीण क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानें** कहलायेगी ।

11.3 परिधिय क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानों की कम्पोजिट फीस का निर्धारण :-

11.3.1 वर्ष 2018-19 में ऐसी दुकानें जो बिन्दु संख्या 8.2 (i) एवं (ii) के अनुसार परिधिय क्षेत्र की कम्पोजिट दुकाने मानी गयी है तथा जो 5 किलोमीटर की परिधि में आने वाले गांवों में अवस्थित है, की कम्पोजिट फीस इस परिधि में स्थित गांवों को "अ" एवं "ब" दो श्रेणी में वर्गीकृत कर तदनुसार वसूल की जायेगी ।

(i) "अ" श्रेणी के गांव – वे गांव जिनमें वर्ष 2005-06 से वर्ष 2017-18 तक देशी मदिरा की कम्पोजिट दुकानें संचालित रही हो अथवा इन गांवों की सीमा नगरीय क्षेत्र की सीमा से लगती हुई हो ।

(ii) "ब" श्रेणी के गांव – नगरीय क्षेत्र की 5 कि.मी. की परिधि में स्थित "अ" श्रेणी के गांवों के अतिरिक्त समस्त गांव "ब" श्रेणी के होंगे ।

11.3.2 वर्ष 2018-19 के लिए अनुज्ञाधारी द्वारा उसके समूह की दुकान को "अ" श्रेणी के गांवों में संचालित किये जाने पर कम्पोजिट फीस उसके समीपस्थ नगरीय क्षेत्र की भा.नि.वि. मदिरा की लाईसेन्स फीस (बेसिक लाईसेन्स फीस एवं "न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस" के योग के बराबर) अथवा उस दुकान/समूह की वर्ष 2017-18 की आर.एस.बी.सी.एल की एनुलाईज्ड बिलिंग राशि का 7 प्रतिशत में से, जो भी अधिक हो, देय होगी। इस दुकान के लिये भा.नि.वि.मदिरा/बीयर पर देय "स्पेशल वेण्ड फीस" का भराव उस दुकान की कम्पोजिट फीस के 50 प्रतिशत की सीमा तक देय होगा एवं इस राशि के समाप्त होने पर "स्पेशल वेण्ड फीस" पृथक से देय होगी ।

"ब" श्रेणी के गांव की सीमा में दुकान संचालित किये जाने पर कम्पोजिट फीस उस दुकान/समूह की वर्ष 2017-18 की आर.एस.बी.सी.एल. की एनुलाईज्ड बिलिंग राशि का 7 प्रतिशत अथवा समीपस्थ नगरीय क्षेत्र की भा.नि.वि.मदिरा/बीयर दुकान की लाईसेन्स फीस (बेसिक लाईसेन्स फीस एवं "न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस" के योग) का 50 प्रतिशत अथवा रु. 50,000/- में से जो भी अधिक हो, देय होगी। इस श्रेणी की दुकान के लिये भा.नि.वि.मदिरा/बीयर पर देय "स्पेशल वेण्ड फीस" का भराव उस दुकान की कम्पोजिट फीस के 50 प्रतिशत की सीमा तक देय होगा एवं इस राशि के समाप्त होने पर "स्पेशल वेण्ड फीस" पृथक से देय होगी ।

11.3.3 वर्ष के दौरान परिधिय क्षेत्र की "अ" श्रेणी के गांव में संचालित दुकान को अनुज्ञाधारी "ब" श्रेणी के गांव में स्थानान्तरित कराना चाहे तो कम्पोजिट फीस वापसी योग्य (refund) नहीं होगी, परन्तु "ब" श्रेणी के गांव में संचालित दुकान "अ" श्रेणी के गांव में स्थानान्तरित कराये जाने पर "अ" व "ब" श्रेणी की कम्पोजिट फीस के अन्तर की राशि जमा करानी होगी ।

11.3.4 परिधीय क्षेत्र की देशी मदिरा कम्पोजिट दुकानों के लिये अनुज्ञाधारी द्वारा सम्बन्धित वर्ष में देय कुल कम्पोजिट फीस की अधिकतम 25 प्रतिशत राशि

को अनुज्ञाधारी के आवेदन पर उस समूह की सम्बन्धित वर्ष की देशी मदिरा की वार्षिक राशि में सम्मिलित किया जा सकेगा।

परिधीय क्षेत्र की अ श्रेणी के गांवों में अवस्थित कम्पोजिट दुकानों की उक्तानुसार निर्धारित कम्पोजिट फीस का विवेकीकरण आवश्यकता होने पर आबकारी आयुक्त द्वारा राज्य सरकार की पूर्वानुमति से किया जा सकेगा।

वर्ष 2018-19 के लिये परिधीय क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानों की कम्पोजिट फीस को 31 मार्च 2018 तक जमा कराया जाना आवश्यक होगा।

12. कम्पोजिट फीस के स्थानान्तरण का विकल्प :-

वर्ष 2018-19 की वार्षिक राशि में सम्मिलित की जाने वाली अधिकतम कम्पोजिट फीस की 25 प्रतिशत राशि जोड़कर वर्ष 2018-19 के लिये उस समूह की वार्षिक राशि (ई.पी.ए) निर्धारित होगी। इस अधिकतम 25 प्रतिशत कम्पोजिट फीस का समायोजन वित्तीय वर्ष 2018-19 के माह सितम्बर से माह जनवरी तक 4 प्रतिशत प्रति माह एवं माह फरवरी में 5 प्रतिशत निर्धारित मासिक गारन्टी पूर्ति के लिये मदिरा निर्गम पर देय आबकारी शुल्क के विरुद्ध किया जा सकेगा।

13. चतुर्थ श्रेणी नगर पालिका की देशी मदिरा कम्पोजिट दुकानों की कम्पोजिट फीस का निर्धारण :-

(i) वर्ष 2018-19 हेतु "चतुर्थ श्रेणी" की नगर पालिका क्षेत्रों (सागवाड़ा नगर पालिका को छोड़कर) में स्थित देशी मदिरा दुकानों की कम्पोजिट फीस की गणना निम्न प्रक्रिया अनुसार की जायेगी :-

(क) वर्ष 2018-19 के लिये सम्बन्धित नगर पालिका क्षेत्र में वर्ष 2017-18 में संचालित समस्त कम्पोजिट दुकानों की राजस्थान राज्य ब्रेवरेज कारपोरेशन लिमिटेड (आर.एस.बी.सी.एल) की कुल एन्चुलाईज्ड बिलिंग राशि (Annualised Billing Amount) का 7 प्रतिशत राशि के बराबर कम्पोजिट फीस की गणना की जायेगी।

(ख) उपरोक्त बिन्दु संख्या 13 (i) (क) में गणना की गई राशि को संबंधित नगर पालिका क्षेत्र की सभी देशी मदिरा कम्पोजिट दुकानों में समान रूप से विभाजित कर प्रत्येक देशी मदिरा कम्पोजिट दुकान की कम्पोजिट फीस निर्धारित की जायेगी।

(ii) वर्ष 2018-19 में "चतुर्थ श्रेणी" नगर पालिका की देशी मदिरा कम्पोजिट दुकानों की प्रत्येक दुकान के लिये जमा कम्पोजिट फीस की 50 प्रतिशत राशि उस दुकान के लिये भा.नि.वि.म./बीयर निर्गम के लिये देय "स्पेशल वेण्ड फीस" के पेटे समायोजन योग्य होगी एवं इस राशि के समाप्त होने पर "स्पेशल वेण्ड फीस" पृथक से नकद देय होगी।

14 ग्रामीण क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानों की कम्पोजिट फीस का निर्धारण :-

- (i) वर्ष 2018-19 हेतु ग्रामीण क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानों की कम्पोजिट फीस वर्ष 2017-18 की भा.नि.वि.मदिरा एवं बीयर की राजस्थान राज्य ब्रेवरेज कारपोरेशन लिमिटेड (आर.एस.बी.सी.एल.) डिपो की एन्युलाईज्ड बिलिंग राशि (Annualised Billing Amount) के 7 प्रतिशत अथवा वर्ष 2017-18 हेतु निर्धारित कम्पोजिट फीस अथवा रु. 50,000/- जो भी अधिक हो, निर्धारित की जावेगी। सीमावर्ती जिलों के ग्रामीण क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानों की उक्तानुसार निर्धारित कम्पोजिट फीस का विवेकीकरण आवश्यकता होने पर आबकारी आयुक्त द्वारा राज्य सरकार की पूर्वानुमति से किया जा सकेगा।
- (ii) वर्ष 2018-19 में ग्रामीण क्षेत्र के किसी समूह में एक से अधिक कम्पोजिट दुकाने होने पर आर.एस.बी.सी.एल से भा.नि.वि. मदिरा एवं बीयर की वर्ष 2017-18 की सभी कम्पोजिट दुकानों की कुल एन्युलाईज्ड बिलिंग राशि को समान रूप से विभाजित किया जाकर वर्ष 2018-19 हेतु प्रति कम्पोजिट दुकान कम्पोजिट राशि निर्धारित की जायेगी।
- (iii) वर्ष 2018-19 में ग्रामीण क्षेत्र की देशी मदिरा कम्पोजिट दुकान के लिये जमा कम्पोजिट फीस की 50 प्रतिशत राशि उस दुकान के लिये भा.नि.वि.मदिरा/बीयर निर्गम के लिये देय "स्पेशल वेण्ड फीस" के पेटे समायोजन योग्य होगी एवं इस राशि के समाप्त होने पर "स्पेशल वेण्ड फीस" पृथक से नकद देय होगी।

स्पष्टीकरण :-

- (i) **एन्युलाईज्ड बिलिंग राशि (Annualised Billing Amount) :-**
किसी भी समूह के अनुज्ञाधारी द्वारा उस समूह की कम्पोजिट दुकानों हेतु मदिरा एवं बीयर के क्रय हेतु आर.एस.बी.सी.एल. को वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम 9 माह में समूह की उन सभी कम्पोजिट दुकानों द्वारा कुल अदा की गई राशि (Including all levies, VAT and SVF) को (4/3) के फेक्टर से गुणा कर एन्युलाईज्ड बिलिंग राशि की गणना की जायेगी।
- (v) परिधिय क्षेत्र (विनिर्दिष्ट नगरीय क्षेत्र प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं सागवाडा की सीमा से 5 कि.मी. की परिधि) के "अ" एवं "ब" श्रेणी के सभी गाँवों की सूची विभागीय वेबसाईट <https://www.rajexciseapplication2017-18.org> पर उपलब्ध है। यह सूचना जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में भी उपलब्ध रहेगी। देशी मदिरा की कम्पोजिट फीस अनुज्ञाधारी द्वारा प्रस्तुत लोकेशन के आधार पर उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार लागू होगी।

- (vi) विदेशी मदिरा व बीयर पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बिन्दु/ प्रक्रिया अनुसार 20 प्रतिशत 'वेट' देय होगा ।
- (vii) भा.नि.वि.मदिरा के वर्ष 2017-18 के त्रैमासिक उठाव की तुलना में वर्ष 2018-19 में न्यूनतम 10 प्रतिशत से कम वृद्धि एवं बीयर के वर्ष 2017-18 के त्रैमासिक उठाव की तुलना में वर्ष 2018-19 में न्यूनतम 10 प्रतिशत से कम वृद्धि देने वाले कम्पोजिट समूहों, परिधीय क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानों को छोड़कर के अनुज्ञाधारियों पर उनके द्वारा कम उठाई गई भा.नि.वि.मदिरा की मात्रा पर रू. 20/- प्रति बल्क लीटर तथा कम उठाई गई बीयर की मात्रा पर रू. 10/- प्रति बल्क लीटर की दर से अतिरिक्त राशि वसूली योग्य होगी । उक्त कम उठाव वाली दुकानों की गणना दुकानवार प्रत्येक त्रैमास के पश्चात् की जायेगी। इस हेतु विस्तृत प्रक्रिया एवं निर्देश आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किये जायेंगे ।
- (viii) वित्तीय वर्ष के दौरान किसी समूह का पुनः बन्दोबस्त किये जाने की स्थिति में संबंधित समूह की न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस/कम्पोजिट फीस का पुनः निर्धारण वर्ष की शेष अवधि अनुसार अनुपातिक आधार पर किया जायेगा ।
- (ix) जो अनुज्ञाधारी 2018-19 के दौरान मासिक एकाकी विशेषाधिकार राशि की पूर्ति का 105 प्रतिशत से अधिक उठाव करने पर मासिक एकाकी विशेषाधिकार राशि के 105 प्रतिशत से अधिक उठायी गयी मदिरा की मात्रा पर देय आबकारी शुल्क में 10 प्रतिशत छूट दी जायेगी ।

15. दुकानों की संख्या व अवस्थिति

देशी मदिरा दुकान / दुकाने उसके लिये निर्धारित ग्राम पंचायत अथवा नगर निगम /परिषद/पालिका के सम्बन्धित वार्ड में किसी भी नियमानुकूल अवस्थिति पर लगाई जा सकेगी परन्तु दो पड़ोसी समूहों में अस्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा रोकने के उद्देश्य से जिला आबकारी अधिकारी इस संबंध में उचित निर्णय ले सकेगा ।

16. आबकारी शुल्क व अन्य प्रभार

- 16.1 देशी मदिरा पर रूपये 130/- प्रति प्रूफ लीटर की दर से आबकारी शुल्क लगाया जायेगा ।
- 16.2 अनुज्ञाधारी को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर से परमिट फीस का भुगतान भी करना होगा ।
- 16.3 इसके अतिरिक्त मदिरा के मूल्य का भुगतान राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स को किया जाना होगा ।

- 16.4 देशी मदिरा के विक्रय मूल्य पर 5 प्रतिशत की दर से वेट वसूल किया जायेगा।
- 16.5 आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2017-18 उप 2018-19 के बिन्दु संख्या 3.8.2 के अनुसार देशी मदिरा का थोक निर्गम मूल्य का निर्धारण किया जायेगा।
- 16.6 आबकारी एवं मद्य संयम नीति वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के तहत जारी की गई अधिसूचना / विभागीय परिपत्र / आदेश एवं राज्य सरकार द्वारा मदिरा दुकानों के संबंध में जारी आदेश / निर्देश अन्तिम होंगे।
17. वर्ष 2018-19 हेतु राज्य में देशी मदिरा समूहों / दुकानों के अनुज्ञापत्र हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन ऑनलाईन भरना होगा। आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि का इन्टरनेट बैंकिंग से ऑनलाईन भुगतान करने वाले आवेदकों के अलावा अन्य सभी आवेदकों को ऑनलाईन आवेदन के पश्चात उसकी प्रिन्टेड कॉपी को ऑनलाईन आवेदन करने के तीन दिवस अथवा **26.02.2018 को 5 पीएम**, जो भी पहले हो, तक आवेदन शुल्क तथा अमानत राशि के चालान / डिमान्ड ड्राफ्ट संलग्न करते हुए सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। अपरिहार्य अथवा विशेष परिस्थिति में उक्त प्रिन्टेड कॉपी प्रस्तुत करने की उपरोक्त निर्धारित समय सीमा में छूट दी जा सकेगी, लेकिन किसी भी परिस्थिति में ये प्रिन्टेड कॉपी **26.02.2018 को 5 पीएम के बाद स्वीकार्य नहीं होंगे**।
- 18 **दुकानों का आवंटन / लॉटरी प्रक्रिया**
- 18.1 उक्तानुसार लॉटरी अपेक्षित होने पर लॉटरी निकालने की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा गठित एक समिति द्वारा संबंधित जिला मुख्यालय पर दिनांक ... **27.02.2018** को प्रातः 11.00 बजे की जायेगी, जो आवश्यकता होने पर आगामी कार्य दिवस को भी जारी रहेगी। लॉटरी निकालने के स्थान की जानकारी जिला कलेक्टर एवं सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध करा दी जावेगी। इस कार्यवाही के दौरान उस दुकान के समस्त आवेदक उपस्थित रह सकते हैं। आवेदकों को चाहिये कि लॉटरी निकालने की इस प्रक्रिया में भाग लेने के लिये प्रवेश हेतु वह आवेदन पत्र की दी गई रसीद (आवेदन पत्र का भाग - III) अपने साथ रखें।
- 18.2 किसी दुकान के लिए लॉटरी निकालने के लिये उस दुकान हेतु प्राप्त समस्त आवेदन के भाग II को पृथक कर ऐसी समस्त पर्चियों को एक साथ डालकर लॉटरी निकाली जायेगी।

- 18.3 किसी दुकान/ दुकान समूह हेतु दो अतिरिक्त आवेदको की एक आरक्षित सूचि (reserve list) बाबत भी लॉटरी निकाली जायेगी ताकि यदि मूल सूचि में चयनित कोई आवेदक निर्धारित अवधि में धरोहर राशि जमा नही करवाता हैं या देशी मदिरा की अन्य दुकान उसको आवंटित हो जाती है तो आरक्षित सूचि में से उसी वरीयता क्रम में स्वीकृति जारी की जा सके ।
19. आबकारी बन्दोबस्त, मद्य-संयम एवं शुष्क दिवसों के संबंध में अन्य प्रावधान/प्रक्रिया/व्यवस्था पूर्व नीति के अनुरूप यथावत रखे जायेंगे ।
20. आबकारी आयुक्त को अधिकार होगा कि उचित कारण होने पर किसी भी आवेदन को अस्वीकार करने का आदेश पारित कर दें । आवेदन आमंत्रण एवं लॉटरी की इस प्रक्रिया के बारे में किसी भी प्रकार का संशय / विवाद उत्पन्न होने पर आबकारी आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा ।

आबकारी आयुक्त,
राजस्थान, उदयपुर

राजस्थान – सरकार
आबकारी – विभाग

राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 तथा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के अन्तर्गत
देशी मदिरा की खुदरा बिक्री के लिए अनुज्ञापत्र

अनुज्ञापत्र संख्या

दिनांक :

अनुज्ञाधारी का नाम	पिता/पति का नाम	आयु	पूर्ण पता

उपर्युक्त व्यक्तियों को विभाग द्वारा निदेशित राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स के गोदाम से देशी मदिरा प्राप्त कर समूह क्षेत्र में अवस्थित दुकान / दुकानों पर खुदरा विक्रय करने हेतु दिनांकसे तक की अवधि के लिए नीचे वर्णित शर्तों पर अनुज्ञापत्र जारी किया जाता है।

देशी मदिरा समूह का नाम :

समूह में निर्धारित दुकानों की संख्या :

समूह में निर्धारित दुकानों का विवरण:

.....

इस अनुज्ञापत्र की पालना सुनिश्चित करने के लिये उक्त अनुज्ञाधारी/अनुज्ञाधारियों ने वर्ष 2018-19 की निर्धारित वार्षिक राशि की वांछित प्रतिशत नकद धरोहर राशि (अर्नेस्टमनी की राशि को समायोजित करते हुए) तथा नियमानुसार अग्रिम एकाकी विशेषाधिकार राशि जमा करा दी है।

देशी मदिरा खुदरा विक्रय अनुज्ञापत्र (लाईसेन्स) की शर्तें

1. राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 एवं उसके अन्तर्गत बने नियमों आदि की पालना :-

अनुज्ञाधारी, राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (राजस्थान अधिनियम संख्या-2, 1950) एवं उसके अन्तर्गत बने राजस्थान आबकारी नियम, 1956 एवं आवेदन के सदर्थ में जारी विस्तृत निर्देश एवं शर्तों, अनुज्ञाधारी के पक्ष में जारी की गई स्वीकृति, इस अनुज्ञापत्र की शर्तों तथा समय-समय पर प्रसारित विभागीय निर्देशों से पाबन्द रहेगा।

2. वार्षिक राशि एवं अन्य राशियाँ तथा उनका भुगतान :-

2.1 अनुज्ञाधारी को राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 24 एवं 30 तथा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम संख्या 67 (आई) के अधीन एकाकी विशेषाधिकार के लिए वर्ष 2018-19 (दिनांक 1.4.2018 से 31.3.2019 तक) की अवधि के लिए निर्धारित वार्षिक राशि रुपये(अंकों में) रुपये (शब्दों में) का भुगतान करना होगा।

2.2 अनुज्ञाधारी को निर्धारित दुकान / दुकानों की वर्ष 2018-19 के लिए निर्धारित **वार्षिक राशि की 18 प्रतिशत राशि** बतौर अग्रिम एकाकी विशेषाधिकार राशि दिनांक 01.04.2018 से पूर्व एवं आवेदन के सन्दर्भ में विस्तृत दिशा-निर्देश एवं शर्तों के अनुसार राजकोष में जमा करानी होगी।

2.3.1 एकाकी विशेषाधिकार की वार्षिक राशि का भुगतान समतुल्य 12 मासिक किश्तों में करना होगा। माह का आशय कैलेण्डर माह से है। प्रत्येक माह की मासिक किश्त का भुगतान उस माह की अंतिम दिनांक तक करना होगा। देशी मदिरा पर भुगतान की गई आबकारी ड्यूटी का मासिक किश्त की राशि के प्रति रिबेट (भराव) देय होगा, जो किसी भी दशा में मासिक किश्त की राशि से अधिक नहीं होगा परन्तु माह अप्रैल से जून के मध्य मासिक किश्त से अधिक उठाई गई मदिरा का भराव माह जुलाई से सितम्बर तक की किश्तों में देया जा सकेगा।

खुदरा अनुज्ञाधारी को मासिक गारन्टी पूर्ति के लिये निर्धारित होने वाली एकाकी विशेषाधिकार राशि का अधिकतम 60 प्रतिशत 40 यू.पी. देशी मदिरा से तथा न्यूनतम 40 प्रतिशत निर्गम 50 यू.पी. एवं 60 यू.पी. देशी मदिरा सम्मिलित रूप से लेना आवश्यक होगा।

प्रत्येक माह की मासिक एकाकी विशेषाधिकार राशि की 40 प्रतिशत गारन्टी पूर्ति 50/60 यू.पी. की देशी मदिरा के उठाव से किया जाना अनिवार्य है। लेकिन एक माह में 50/60 यू.पी. की देशी मदिरा से गारन्टी पूर्ति उक्त अनुपात में नहीं हो पाने पर अनुज्ञाधारी उसी त्रैमास के अन्य माह/माहों में 50 एवं 60 यू.पी. की देशी मदिरा से गारन्टी पूर्ति इस प्रकार से सुनिश्चित करेगा कि उक्त त्रैमास के तीन माहों की मासिक एकाकी विशेषाधिकार राशि के योग की 40 प्रतिशत की गारन्टी पूर्ति 50/60 यू.पी. की देशी मदिरा के उठाव के लिए जमा कराई गई आबकारी ड्यूटी

से हो। एक त्रैमास में इस अनुपात से कम उठाव होने की स्थिति में अनुज्ञाधारी को 50/60 यू.पी. की देशी मदिरा की गारन्टी पूर्ति के देय आबकारी शुल्क एवं वास्तविक रूप से 50/60 यू.पी. देशी मदिरा उठाव से गारन्टी पूर्ति की अन्तर की राशि नकद से पृथक से जमा करवानी होगी। इस सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त द्वारा जारी निर्देशों की पालना हेतु अनुज्ञाधारी बाध्य रहेगा।

- 2.3.2 विलम्ब से जमा करायी गयी राशि पर राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 के अनुसार ब्याज भी वसूली योग्य होगा। ब्याज के भुगतान करने के लिये पृथक से नोटिस की आवश्यकता नहीं होगी।
- 2.4 अनुज्ञाधारी को राजस्थान आबकारी नियम 1956 के नियम 69-बी के अन्तर्गत देय फीस पृथक से भुगतान करनी होगी।
- 2.5 उपर्युक्त राशियों के अलावा अन्य फीस एवं कर प्रभार, अगर कोई है, का अलग से भुगतान करना होगा।
- 2.6 वर्ष 2018-19 के लिये निर्धारित वार्षिक राशि की 18 प्रतिशत राशि अग्रिम एकाकी विशेषाधिकार राशि के रूप में दिनांक 01.04.2018 से पूर्व राजकोष में जमा करानी होगी।

यह 18 प्रतिशत अग्रिम एकाकी विशेषाधिकार राशि वित्तीय वर्ष 2018-19 के माह सितम्बर से माह फरवरी तक 3 प्रतिशत राशि निर्धारित मासिक गारन्टी पूर्ति के लिये मदिरा निर्गम के लिये देय आबकारी शुल्क अथवा मासिक एकाकी विशेषाधिकार राशि में समायोजन किया जा सकेगा।

3. अनुज्ञापत्र की वैधानिक स्थिति :-

- 3.1 जिन व्यक्तियों के पक्ष में अनुज्ञापत्र स्वीकृत किया गया है वे व्यक्ति ही अनुज्ञाधारी की श्रेणी में माने जायेंगे तथा वे ही इस अनुज्ञापत्र के तहत निर्धारित क्षेत्र में देशी मदिरा की बिक्री करने हेतु अधिकृत होंगे।
- 3.2 अनुज्ञाधारी, अनुज्ञापत्र देने वाले अधिकारी की लिखित स्वीकृति के बिना किसी अन्य व्यक्ति को अनुज्ञापत्र हस्तान्तरित नहीं कर सकेगा। अनुज्ञापत्र की अवधि में अनुज्ञाधारी की मृत्यु हो जाने पर मदिरा समूह को नियमानुसार फिर से उठाया जा सकेगा। यदि अनुज्ञाधारी का कोई वैध वयस्क उत्तराधिकारी हो, तो उसकी प्रार्थना पर अनुज्ञापत्र उसके नाम पर जारी किया जा सकेगा। किसी समूह में एक से अधिक अनुज्ञाधारी होने की स्थिति में यदि किसी अनुज्ञाधारी की मृत्यु हो जाती है तो शेष अनुज्ञाधारी अनुज्ञापत्र की शर्तों से यथावत बाध्य रहेंगे।
- 3.3 "व्यक्तियों के समूह" के नाम पर अनुज्ञापत्र स्वीकृत किये जाने की स्थिति में स्वीकृत "व्यक्तियों के समूह" में सम्मिलित समस्त व्यक्ति सह-अनुज्ञाधारी की श्रेणी में आयेंगे एवं अनुज्ञापत्र की शर्तों से बाध्य होंगे। सभी सह-अनुज्ञाधारी आबकारी बकाया एवं अन्य दायित्वों के भुगतान के लिए संयुक्त एवं पृथक-पृथक रूप से उत्तरदायी होंगे। दायित्वों के उनके आपसी बंटवारे संबंधी उनकी आन्तरिक व्यवस्था

से विभाग को कोई सरोकार नहीं रहेगा। ऐसे “व्यक्तियों के समूह” में सम्मिलित व्यक्ति, अनुज्ञाधारियों द्वारा आयकर विभाग में प्रस्तुत की जाने वाली सूची से भिन्न नहीं होंगे।

4. **धरोहर राशि (Security Deposit) :**

- 4.1 अनुज्ञाधारी को अनुज्ञापत्र शर्तों की पालना सुनिश्चित करने हेतु उस दुकान/ दुकान समूह की वर्ष 2018-19 की वार्षिक राशि की 8 प्रतिशत राशि धरोहर राशि के रूप में आवेदन प्रपत्र के संलग्न विस्तृत दिशा निर्देश व शर्तों में दी गई अवधि में जमा करानी होगी। अनुज्ञाधारी द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत अमानत राशि (earnest money) धरोहर राशि पेटे समायोजित कर ली जायेगी।
- 4.2 सफलतापूर्वक दुकान/समूह का संचालन कर लेने एवं कोई बकाया नहीं रहने पर धरोहर राशि का प्रतिदाय किया जायेगा।
- 4.3 अनुज्ञाधारी को स्वयं का फोटो पहचान पत्र एवं आयकर विभाग द्वारा जारी पेन कार्ड अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।

5. **दुकानों की अवस्थिति :**

- 5.1 अनुज्ञाधारी अनुज्ञा के लिए निर्धारित क्षेत्र (यथा ग्राम पंचायत अथवा नगर निगम/परिषद/ पालिका का वार्ड अथवा उसका समूह) में देशी मदिरा की निर्धारित दुकानों की संख्या तक किसी भी स्थान पर नियमानुसार दुकान लगा सकेगा, परन्तु इसके लिये उसे अपने क्षेत्र के जिला आबकारी अधिकारी से दुकानों की अवस्थिति स्वीकृत करानी होंगी। बिना स्वीकृति के अनुज्ञाधारी दुकानों का संचालन नहीं कर सकेगा।
- 5.2 अनुज्ञाधारी दुकानें प्रारम्भ करने से पूर्व दुकानों की अवस्थिति की स्वीकृति हेतु आवश्यक दस्तावेजों सहित, सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करेगा। उचित एवं पर्याप्त कारण होने पर जिला आबकारी अधिकारी अनुज्ञाधारी द्वारा चाही गई अवस्थिति पर दुकान लगाने की स्वीकृति देने से मना कर सकता है। ऐसी स्थिति में अनुज्ञाधारी किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति अथवा उसके द्वारा देय राशियों में छूट पाने का हकदार नहीं होगा। साथ ही वह अन्य स्थान पर नियमानुसार दुकान स्वीकृत कराने हेतु आवेदन जिला आबकारी अधिकारी को प्रस्तुत कर सकेगा।
- 5.3 जिला आबकारी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह उचित एवं पर्याप्त कारण होने पर स्वीकृत स्थान से दुकान हटवा सकेगा। इस प्रकार स्वीकृत दुकानों को एक स्थान से उसी समूह क्षेत्र में दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित करने या बन्द रहने या संचालन नहीं करने पर अनुज्ञाधारी किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति अथवा वार्षिक/मासिक किश्त की राशि में छूट पाने का हकदार नहीं होगा।
- 5.4 निर्धारित दुकानों की संख्या तक दुकानों की अवस्थिति स्वीकृत नहीं कराने अथवा किसी कारणवश उन्हें संचालित नहीं करने की स्थिति में अनुज्ञाधारी उसके द्वारा देय राशियों में किसी प्रकार की छूट पाने का हकदार नहीं होगा।

- 5.5 अनुज्ञाधारी मदिरा की दुकान अस्पताल, महाविद्यालय एवं सीनियर हायर सैकण्डरी शिक्षण संस्थानों, सभी स्तर के कन्या शिक्षण संस्थानों, धार्मिक स्थानों, सिनेमा हॉल और नाट्य गृह से 200 मीटर की परिधि में नहीं लगा सकेगा, परन्तु एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में धार्मिक स्थानों से दूरी संबंधी प्रतिबंध जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में रखी हुई सूची में उल्लेखित धार्मिक स्थानों पर लागू होगा। महाविद्यालय, सीनियर हायर सैकण्डरी शिक्षा संस्थानों एवं सभी स्तर के कन्या शिक्षण संस्थानों को छोड़कर अन्य विद्यालयों के निकट की दुकानों के लिए यह प्रतिबंध रहेगा कि शिक्षा संस्थान बन्द होने के एक घण्टे बाद ही दुकान खोली जा सकेगी। इस बाबत राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 75 के प्रावधान एवं विभागीय निर्देश अन्तिम होंगे।
- 5.6 अनुज्ञाधारी, फैक्ट्री अथवा श्रमिक व हरिजन बस्ती से 200 मीटर की परिधि में दुकान नहीं लगा सकेगा। हरिजन बस्ती से अभिप्राय ऐसे नगर पालिका वार्ड से होगा जिसमें अनुसूचित जातियों से संबंधित व्यक्तियों की जनसंख्या नवीनतम जनगणना के अनुसार उस वार्ड की जनसंख्या की 50 प्रतिशत से अधिक है।
- 5.7 माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.12.2016, 31.03.2017 एवं 11.07.2017 के अनुसार राज्य में मदिरा की दुकानों की लोकेशन राज्य एवं राष्ट्रीय राजमार्ग के बाहरी किनारा (outer edge) अथवा सर्विस रोड (service lane) से 220/500 मीटर की दूरी पर अनुमत होगी। साथ ही उक्त राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग से सीधे ही दिखाई (visible) देने अथवा सीधे सुलभ (Directly accessible) वाले स्थान पर भी मदिरा दुकान की लोकेशन स्वीकृत नहीं की जायेगी।
- 5.8 अनुज्ञाधारी को अपनी दुकान के दरवाजे पर 125 x 75 से.मी. आकार का एक साईन बोर्ड जिस पर अनुज्ञाधारी का नाम, दुकान का विवरण, दुकान खुलने व बन्द होने का समय तथा दुकान जिला आबकारी अधिकारी से अनुमोदित होने आदि का उल्लेख हो, लगाना होगा। मदिरा दुकान का केवल एक ही दरवाजा सार्वजनिक सड़क पर होगा तथा इस एक दरवाजे के अतिरिक्त कोई खिड़की, आला या दीवार में छेद इत्यादि नहीं होगा। दरवाजे के अलावा पूरी दुकान पुख्ता पक्की होगी। आमतौर से मदिरा की दुकान इस प्रकार होनी चाहिए कि दरवाजे के बाहर से भीतर के सब हालात स्पष्टतया दिखाई दे सके। दुकान का काउण्टर विहित रीति के अनुसार रखना होगा। जिस कमरे में दुकान होगी उसमें अनुज्ञाधारी एवं उसके अधिकृत नौकर के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को नहीं रख सकेगा। अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए ग्राहक को किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं दे सकेगा, जैसे कि गाना, नाच व रेडियो/टेलीविजन का कार्यक्रम इत्यादि और न किसी प्रकार का विज्ञापन ही इस विषय पर कर सकेगा। इसके साथ ही किसी भी मदिरा के ब्राण्ड के विक्रय को बढ़ाने के लिए कोई स्कीम, भेट, नजराना या प्रलोभन नहीं ले सकेगा। इसके अलावा किसी भी मदिरा ब्राण्ड का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार का विज्ञापन / छद्म विज्ञापन किसी भी रूप में नहीं कर सकेगा।

- 5.9 सभी मदिरा दुकानों को स्वच्छ रखना होगा तथा नियमित रूप से साफ-सफाई रखनी होगी। मदिरा के स्टॉक को दुकान में व्यवस्थित रूप से रखना होगा। विक्रय की जाने वाली विभिन्न किस्म की मदिरा को दुकान के भीतर उचित रूप से प्रदर्शित (Display) करना होगा। इसके अलावा दुकान के दरवाजे के पास प्रमुख मदिरा ब्राण्डों का अधिकतम खुदरा मूल्य प्रदर्शित करने वाली स्पष्ट पठनीय सूची विभाग द्वारा निर्धारित साईज की लगानी होगी। यह सूची ऐसे स्थान पर लगानी होगी जहां से ग्राहक इसे आसानी से पढ़ सके / देख सकें।
- 5.10 कानून व व्यवस्था की दृष्टि से किसी दुकान की अवस्थिति वर्जित स्थान पर होने की दशा में अगर उस दुकान को बन्द करवाया जाता है तो सक्षम अधिकारी की अनुमति से अनुज्ञाधारी उस समूह क्षेत्र में अन्यत्र स्थान पर नियमानुसार दुकान खोल सकेगा परन्तु ऐसा करने पर वार्षिक / मासिक किश्त की राशि के भुगतान में किसी प्रकार की छूट अथवा क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।
- 5.11 अनुज्ञाधारी नियमानुसार राशि का भुगतान कर जिला आबकारी अधिकारी की अनुमति से स्वीकृत कराई गई दुकान को अपने क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित कर सकेगा।
- 5.12 वर्ष 2018-19 के लिये दो या दो से अधिक दुकान वाले मदिरा समूह को एक गोदाम की सुविधा रूपये 20000/- की वार्षिक फीस पर उपलब्ध होगी। रूपये 10 लाख से अधिक वार्षिक एकाकी विशेषाधिकार राशि वाले एकल दुकान समूह को रू. 30000/- की वार्षिक फीस पर एक गोदाम की सुविधा उपलब्ध होगी। कम्पोजिट दुकान के लिये स्वीकृत गोदाम में देशी मदिरा के साथ भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर/वाइन के भण्डारण की अनुमति दी जा सकेगी। गोदाम की दुरी शहरीय क्षेत्र में मदिरा दुकान से 500 मीटर एवं ग्रामीण क्षेत्र में 1 किलो मीटर से अधिक नहीं होगी।
- 5.13 देशी मदिरा के विक्रय मूल्य पर 5 प्रतिशत की दर से वेट वसूल किया जायेगा।
- 5.14 आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के बिन्दु संख्या 3.8.2 के अनुसार देशी मदिरा का थोक निर्गम मूल्य का निर्धारण किया जायेगा।

6. दुकानों का संचालन :

- 6.1. दुकान खुली रहने का समय प्रातः 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक रहेगा, परन्तु आबकारी आयुक्त द्वारा बिना पूर्व सूचना के समय में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।
- 6.2 वर्तमान में नियत 5 शुष्क दिवस (यथा गणतंत्र दिवस, महात्मा गांधी पुण्य तिथि 30 जनवरी, महावीर जयंती, स्वाधीनता दिवस एवं गांधी जयंती हैं) को शुष्क दिवस रहेगा एवं भविष्य में राज्य सरकार/आबकारी आयुक्त द्वारा नियत किये जाने वाले शुष्क दिवसों पर दुकानें बंद रखनी होगी। शुष्क दिवसों की सूचना अनुज्ञाधारी संबंधित आबकारी निरीक्षक से प्राप्त करेगा। इसके अतिरिक्त दुकान को बन्द रखने व बिक्री समय पर जो नियंत्रण समय-समय पर लगाये जावेंगे उनका पालन भी

अनुज्ञाधारी को करना होगा और इसके लिए उसे न तो कोई क्षतिपूर्ति की जायेगी और न उसके द्वारा देय राशि में ही कोई कमी की जावेगी। यदि अनुज्ञाधारी की दुकानें कानून व व्यवस्था संबंधी कारणों से बन्द रहती है तो भी देय राशि में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जावेगी। शुष्क दिवसों की पठनीय सूची दुकान के काउण्टर के पास लगानी होगी।

- 6.3 राज्य सरकार, आबकारी आयुक्त अथवा अनुज्ञापत्र देने वाला अधिकारी अनुज्ञाधारी को बिना नोटिस दिये शुष्क दिवसों के अतिरिक्त किसी विशेष अवसर पर या विशेष कारणवश मदिरा के विक्रय के समय में परिवर्तन कर सकेगा या दुकान बन्द रखने की आज्ञा दे सकेगा। ऐसी दशा में अनुज्ञाधारी को इसके लिये न तो कोई क्षतिपूर्ति की जायेगी और न देय राशि में कोई कमी की जायेगी।
- 6.4 देशी मदिरा अनुज्ञाधारी अपनी आपूर्ति राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स के निर्धारित गोदाम से लेगा और उसे अपनी दुकान पर सबसे अधिक सीधे मार्ग से अथवा पास में अंकित मार्ग से नियत समय में सुरक्षित रूप से लायेगा और उसके लिए पास भी साथ रखना होगा। दूसरे स्थान या किसी भी अन्य अनुज्ञाधारी से मदिरा नहीं ला सकेगा, न अपने पास रख सकेगा और न ही उसका विक्रय कर सकेगा।
- 6.5 अनुज्ञाधारी को अपने क्षेत्र की दुकान / दुकानों तथा विभाग द्वारा स्वीकृत खुदरा गोदाम के मध्य माल लाने व ले जाने हेतु जिला आबकारी अधिकारी से अलग से परमिट लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इस हेतु "परिवहन घोषणा पत्र" अनुज्ञाधारी द्वारा जारी किया जावेगा। परिवहन घोषणा-पत्र पुस्तिका विभाग द्वारा अनुज्ञाधारी को जारी की जावेगी। इस घोषणा-पत्र की मान्यता अवधि एक दिन की होगी।
- 6.6 अनुज्ञाधारी अपनी दुकान पर किसी भी रूप में मदिरा पान करना / कराना पूर्णतः निषिद्ध होगा। स्वीकृत दुकान पर वैध रूप से क्रय की गई राज्य में विक्रय योग्य मदिरा के अतिरिक्त अन्य कोई खाद्य पदार्थ / पेय पदार्थ / अन्य वस्तुएँ यथा खाली बोतल, कार्टन इत्यादि नहीं रखे जा सकेंगे।
- 6.7 **मदिरा दुकानों पर नौकर रखे जाने की स्थिति**
 - 6.7.1 अनुज्ञाधारी मदिरा लाने व बेचने के लिये जिला आबकारी अधिकारी की अनुमति से अनुज्ञापत्र प्राप्त करने के लिये वांछित पात्रता वाले व्यक्ति को जिला आबकारी अधिकारी पूर्वानुमति से नौकरनाम सम्पादित कर नौकर रख सकेगा। अनुज्ञाधारी की किसी विशेष कारण से अनुपस्थिति की अवस्था में अनुज्ञाधारी के पिता / पति एवं अनुज्ञाधारी के वयस्क पुत्र को इस संबंध में लिखित स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी।
 - 6.7.2 किसी भी मदिरा दुकाने के लिये नौकर रखे जाने की अधिकतम सीमा चार होगी।
 - 6.7.3 दुकान पर मदिरा बेचान करने वाले अधिकृत नौकर को उचित वेशभूषा में रहना होगा तथा उसे अपने नाम तथा विभाग द्वारा नौकरनाम के

अनुमोदन के क्रमांक व दिनांक के उल्लेख वाली पट्टिका/लेमिनेटेड कार्ड लगाना होगा।

- 6.7.4 संबंधित जिला कार्यालय में मदिरा दुकान पर रखे जाने वाले नौकर के रजिस्टर का संधारण किया जायेगा।
- 6.7.5 मदिरा दुकान पर रखे नौकर द्वारा किये गये प्रत्येक काम के लिये अनुज्ञाधारी स्वयं उत्तरदायी होगा।
- 6.8 अनुज्ञाधारी को अनुज्ञापत्र की अवधि तक अपनी दुकान नियमित रूप से संचालित रखनी होगी और हर समय स्टॉक में देशी मदिरा की इतनी मात्रा रखनी होगी, जो 15 दिन की बिक्री के लिए पर्याप्त हो। मदिरा का सारा स्टॉक उसी दुकान या स्वीकृत खुदरा गोदाम पर रखना होगा और उसी दुकान पर बेचना होगा, जिसके लिए उसे अनुज्ञापत्र दिया गया है।
- 6.9 अनुज्ञाधारी को वर्ष 2018-19 में भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर के उठाव में इस दुकान के लिए वर्ष 2017-18 में भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर के बल्क लीटर में उठाव में न्यूनतम 10 प्रतिशत वृद्धि देनी होगी। भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर के उठाव की तुलना त्रैमासिक होगी। त्रैमास में उक्तानुसार भारत निर्मित विदेशी मदिरा/ बीयर के उठाव में न्यूनतम 10 प्रतिशत की वृद्धि नहीं देने पर प्रत्येक त्रैमास में कम उठाई गई भारत निर्मित विदेशी मदिरा के लिए रू. 20/-प्रति बल्क लीटर एवं बीयर के लिये रू.10/- प्रति बल्क लीटर की दर से अतिरिक्त राशि वसूली योग्य होगी। यह राशि अनुज्ञाधारी को प्रत्येक त्रैमास की समाप्ति पर राजकोष में जमा करानी होगी।
- 6.10 अनुज्ञाधारी मदिरा बन्द बोतलों/अर्द्धों/पव्यों में ही विक्रय कर सकेगा।
- 6.11 अनुज्ञाधारी किसी एक व्यक्ति को एक समय में राजस्थान आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत खुदरा विक्रय हेतु उल्लेखित अधिकतम मात्रा से अधिक मात्रा में मदिरा सक्षम अधिकारी की आज्ञा के बिना एक साथ नहीं बेच सकेगा, लेकिन राज्य सरकार जब भी उचित समझेगी तब अधिसूचना जारी कर इस मात्रा में कमी या वृद्धि कर सकेगी, जिसकी पालना अनुज्ञाधारी को करनी होगी। ऐसी आज्ञा के विरुद्ध वह कोई आपत्ति नहीं कर सकेगा और न ही किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति की मांग कर सकेगा।
- 6.12 अनुज्ञाधारी 18 वर्ष से कम आयु वाले किसी व्यक्ति को या जिस व्यक्ति का होश हवास दुरुस्त न हो, मदिरा नहीं बेच सकेगा। इसी प्रकार पुलिस व सेना के सिपाही या रेल व आबकारी के कर्मचारियों को भी जो वर्दी पहने हुए या ड्यूटी पर हो, मदिरा नहीं बेच सकेगा। वाहन चालकों को एवं हवाई जहाज के पायलटों को भी यात्रा के दौरान मदिरा नहीं बेच सकेगा।
- 6.13 अनुज्ञाधारी अथवा उसका नौकर अपनी दुकान पर किसी प्रकार दंगा, फसाद या जुआ नहीं होने देगा और ऐसे लोगों को जो कुख्यात बदमाश हों, दुकान पर आने

नहीं देगा और रात को ऐसे बदमाशों को अपनी दुकान पर नहीं ठहरायेगा। यदि कोई ऐसा व्यक्ति दुकान में आवे जिसके विषय में पुलिस द्वारा दस्तान्दाजी योग्य और जमानत के अयोग्य अपराध का संदेह हो तो अनुज्ञाधारी या जो व्यक्ति उसकी ओर से दुकान पर काम करता हो तो उसका कर्तव्य होगा कि उसकी सूचना तुरन्त निकटवर्ती मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को दें।

- 6.14 अगर अनुज्ञाधारी या उसका कोई प्रतिनिधि अन्य देशी मदिरा समूह क्षेत्र में अवैध रूप से देशी मदिरा भेजते हुए पाया जाता है तो अन्य कानूनी कार्यवाही के अलावा उस पर उचित शास्ति भी आरोपित की जा सकेगी।
- 6.15 अनुज्ञाधारी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम विक्रय मूल्य एवं अधिकतम विक्रय मूल्य से कम मूल्य पर मदिरा का विक्रय नहीं कर सकेगा।
- 6.16 जिला आबकारी अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना अनुज्ञाधारी किसी मेले में अस्थाई तौर पर दुकान नहीं लगा सकेगा।

7. अभिलेखों का संधारण :

- 7.1 अनुज्ञाधारी को देशी मदिरा की आमद, बिक्री और शेष बची मात्रा (Balance) का हिसाब निर्धारित रजिस्टर में दैनिक रूप से रखना होगा व एक निरीक्षण पंजिका भी रखनी होगी। यह रजिस्टर जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में मूल्य चुका कर प्राप्त करना होगा। दैनिक हिसाब विभागीय निर्देशानुसार संधारित करना होगा और मासिक आमद, बेचान व स्टॉक का नक्शा आगामी माह की 5 तारीख तक हलके के आबकारी निरीक्षक के पास पेश करना होगा।
- 7.2 आबकारी निरीक्षक अथवा निरीक्षण के लिये अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर अनुज्ञाधारी को अपना अनुज्ञापत्र, नौकर का नौकरनामा व बिक्री रजिस्टर, परमिट पास एवं मदिरा का तमाम स्टॉक, इत्यादि जांच हेतु बतलाना होगा तथा उसको दिन व रात में किसी भी समय दुकान में प्रविष्ट होने देगा और ऐसे अधिकारी को निरीक्षण के दौरान प्रत्येक प्रकार का सहयोग देगा।
- 7.3 अनुज्ञापत्र की अवधि समाप्त होने अथवा किसी अन्य कारण से अनुज्ञापत्र रद्द होने की स्थिति में अनुज्ञाधारी को देशी मदिरा के बचे हुए स्टॉक एवं समस्त रिकार्ड की सूचना अविलम्ब अपने क्षेत्र के आबकारी निरीक्षक को देनी होगी। समस्त रिकार्ड उसे आबकारी निरीक्षक के कार्यालय में अविलम्ब जमा कराना होगा एवं बचे हुए स्टॉक का निस्तारण जिला आबकारी अधिकारी के आदेशानुसार करना होगा। निस्तारण होने तक बचा हुआ स्टॉक, आबकारी निरीक्षक एवं निवर्तमान अनुज्ञापत्र धारी के संयुक्त अभिरक्षण में ऐसे स्थान पर रहेगा, जहां व्यवसाय किया जा रहा था एवं निस्तारण करने तक उस स्थान का किराया बिजली व्यय एवं अन्य अधिभार निवर्तमान अनुज्ञाधारी को ही देने होंगे।

8. अनुज्ञापत्र को निरस्त करना :

- 8.1 अनुज्ञाधारी को मासिक किशतों का भुगतान अनुज्ञापत्र की शर्त संख्या 2.3.1 के तहत निर्धारित अवधि तक करना आवश्यक होगा। निर्धारित अवधि तक की मासिक किशत को जमा नहीं कराने पर इसे अनुज्ञापत्र की शर्तों का उल्लंघन माना जायेगा तथा इस आधार पर अनुज्ञापत्र को निरस्त किया जा सकेगा।
- 8.2 यदि अनुज्ञापत्र देने वाले अधिकारी अथवा उससे उच्च प्राधिकारी को किसी समय यह विश्वास हो कि अनुज्ञाधारी अपनी दुकान चालू नहीं रखता है अथवा ठीक तौर पर नहीं चलाता है अथवा किसी भी प्रकार आबकारी शुल्क व अन्य आबकारी प्रभारों की अपवंचना में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सम्मिलित है अथवा अन्य कोई उचित एवं पर्याप्त कारण हों तो ऐसी दशा में अनुज्ञापत्र निरस्त किया जा सकेगा।
- 8.3 अनुज्ञापत्र की अवधि के दौरान अनुज्ञाधारी के विरुद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950, नारकोटिक ड्रग्स एवं साईकोट्रोपिक सब्सटेन्सेज एक्ट 1985 अथवा आबकारी अधिनियम 1950 की धारा 34 में उल्लेखित अधिनियमों तथा उसमें उल्लेखित धाराओं के अन्तर्गत अभियोग दर्ज होने या उनके सजायाब होने पर अनुज्ञापत्र निरस्त किया जा सकेगा।
- 8.4 यदि अनुज्ञाधारी अवैध रूप से मदिरा, अफीम या अन्य मादक पदार्थ रखता है या बेचता है या किसी अन्य राज्य में अवैध रूप से मदिरा को बेचने का या अफीम या अन्य मादक पदार्थ बेचने का काम करता है या किसी ऐसी जगह से उसका संबंध है जहां से ये वस्तुएं अवैध रूप से लाई जाने का संदेह हो तो ऐसी दशा में अनुज्ञापत्र निरस्त किया जा सकेगा।
- 8.5 अनुज्ञाधारी अथवा उसके नौकर द्वारा राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 उसके अन्तर्गत बने राजस्थान आबकारी नियम, 1956 अथवा आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न विस्तृत निर्देश एवं शर्तों, अनुज्ञाधारियों के पक्ष में जारी की गई स्वीकृति, इस अनुज्ञापत्र की शर्तों अथवा समय-समय पर प्रसारित विभागीय निर्देशों की अवहेलना किये जाने पर अनुज्ञापत्र निरस्त किया जा सकेगा।
- 8.6.1 अनुज्ञापत्र स्वीकृत करने वाला अधिकारी अथवा उससे उच्च प्राधिकारी, अनुज्ञाधारी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु उचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त अनुज्ञापत्र निरस्त कर सकेगा। अनुज्ञापत्र निरस्त किये जाने पर अनुज्ञाधारी अथवा उसके वारिस किसी प्रकार की क्षति पूर्ति पाने के हकदार नहीं होंगे।
- 8.6.2 अनुज्ञाधारी का यह भी दायित्व होगा कि वह उसके समूह क्षेत्र में अवैध मदिरा विक्रय या गैर कानूनी मदिरा विक्रय की जानकारी होने पर इसकी सूचना तुरन्त जिला आबकारी अधिकारी या हल्के के आबकारी निरीक्षक को देगा। यदि यह पाया जाता है कि क्षेत्र में अवैध मदिरा विक्रय की जानकारी अनुज्ञाधारी को थी तथा इसकी सूचना वह उसके जिला आबकारी अधिकारी या आबकारी निरीक्षक को देने में असफल रहा तो ऐसे मामले में अनुज्ञापत्र अधिकारी द्वारा उसका अनुज्ञापत्र निरस्त

किया जा सकेगा तथा ऐसा अनुज्ञाधारी किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति अथवा रिफण्ड प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा ।

- 8.6.3 देशी मदिरा की जो दुकाने कम्पोजिट श्रेणी की स्वीकृत है, यदि उनका अनुज्ञाधारी भा0नि0वि0 मदिरा/वाईन/आर.टी.डी./बीयर विभाग द्वारा निर्धारित अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचते हुए पाया जाता है, तो यह अनुज्ञापत्र की शर्तों का उल्लंघन की श्रेणी में आएगा। ऐसे प्रकरणों की जांच उपरान्त दोषी पाये जाने पर अनुज्ञापत्र निरस्त किया जा सकेगा । इस सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त द्वारा जारी निर्देश/आदेश की पालना हेतु अनुज्ञाधारी बाध्य रहेगा।
- 8.7 अनुज्ञापत्र निरस्त करने वाले अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह अनुज्ञापत्र को अनुज्ञाधारी की जोखिम एवं लागत पर निरस्त कर उसके द्वारा प्रस्तुत की गई धरोहर राशि (अमानत राशि को सम्मिलित करते हुये) तथा उसके द्वारा जमा कराई गई अग्रिम एकाकी विशेषाधिकार राशि को जब्त सरकार कर सके। साथ ही दुकान / दुकानों के पड़त रहने अथवा दोबारा ठेका कम राशि पर उठने या अन्य तरीके से दुकान / दुकानों के संचालन के परिणामस्वरूप राज्य सरकार को जो भी हानि होगी उसे सम्बन्धित अनुज्ञाधारी की विभाग के पास उनकी जमा किसी भी राशि से, राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत तथा भू-राजस्व की बकाया वसूली की भाँति उनकी समस्त चल-अचल सम्पतियों से तथा उनके वारिसों/ उत्तराधिकारियों से वसूल की जा सकेगी । अनुज्ञाधारी की सम्पतियों तथा उनके वारिसों/ उत्तराधिकारियों की सम्पतियों पर प्रथम प्रभार आबकारी विभाग का रहेगा। यदि दुकान / दुकानों के पुनः उठने पर कोई लाभ होगा तो अनुज्ञाधारी उसे पाने के हकदार नहीं होंगे।

9. बकाया राशियों की वसूली :

अनुज्ञाधारी के विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई आबकारी राजस्व मय ब्याज बकाया रहने की स्थिति में उसकी वसूली विभाग के पास अनुज्ञाधारी की किसी भी जमा राशि से, राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 के तहत तथा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 एवं केन्द्रीय राजस्व वसूली अधिनियम 1890 के प्रावधानों के अनुसार भू-राजस्व की बकाया की भाँति अनुज्ञाधारियों तथा उनके वारिसों/ उत्तराधिकारियों से की जायेगी। अनुज्ञाधारी की सम्पतियों तथा उनके वारिसों / उत्तराधिकारियों की सम्पतियों पर प्रथम प्रभार आबकारी विभाग का रहेगा।

10. अन्य बिन्दु :

- 10.1 अनुज्ञाधारी के लिए अनिवार्य होगा कि वह आबकारी अधिनियम व नारकोटिक ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोपिक सब्सटेन्सेज एक्ट के तहत कारित अपराध उसकी जानकारी में आने पर जिला आबकारी अधिकारी या हल्के के आबकारी निरीक्षक को अविलम्ब सूचना देगा।

- 10.2 राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 एवं इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के समस्त प्रावधान यथारूप में लागू होंगे।
- 10.3 इस अनुज्ञापत्र के संबंध में उत्पन्न होने वाले समस्त विवाद का न्याय क्षेत्र अनुज्ञापत्र जारीकर्ता प्राधिकारी का मुख्यालय रहेगा।
- 10.4 आबकारी बन्दोबस्त, मद्य-संयम एवं शुष्क दिवसों के संबंध में अन्य प्रावधान / प्रक्रिया / व्यवस्था पूर्व नीति के अनुरूप यथावत रखे जायेंगे।
- 10.5 आबकारी एवं मद्य संयम नीति वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के तहत जारी की गई अधिसूचना / विभागीय परिपत्र / आदेश एवं राज्य सरकार द्वारा मदिरा दुकानों के संबंध में जारी आदेश / निर्देश अन्तिम होंगे।

अनुज्ञापत्र देने वाले के हस्ताक्षर

प्रतिसंविद

अनुज्ञापत्र संख्या जिला

समूह का नाम

मैं/हम उपर्युक्त अनुज्ञापत्र के संबंध में इसमें निर्दिष्ट शर्तों तथा राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों, आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न विस्तृत निर्देश एवं शर्तों, हमारे पक्ष में जारी की गई स्वीकृति एवं समय-समय पर प्रसारित विभागीय निर्देशों की पालना करना पूर्णतः स्वीकार करता हूँ/करते हैं।

हस्ताक्षर अनुज्ञाधारी

मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये
आबकारी निरीक्षक
वृत्त

प्रति हस्ताक्षर

जिला आबकारी अधिकारी